



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-03062026-273112  
CG-KA-E-03062026-273112

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2744]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2744]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 3 जून, 2026

**का.आ. 2838(अ).**— जबकि भारत सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट) की अधिसूचना एस.ओ. 4936(ई) दिनांक 31.10.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2, उपधारा 20A (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके द्वारा रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट ने कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में “पंडितनहल्ली गांव में कि.मी. 59/800-900 पर एल.सी. नं. 33 के स्थान पर 2 लेन आर.ओ.बी. के निर्माण” हेतु उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने का अपना आशय घोषित किया था।

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार “प्रजावाणी” समाचार पत्र दिनांक 14.11.2025 तथा Deccan Herald समाचार पत्र दिनांक 14.11.2025 में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, उपधारा 20A के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। तथा सक्षम प्राधिकारी को धारा 2, उपधारा 20D के अंतर्गत दायर आपत्तियाँ प्राप्त हुईं, जिन पर विचार कर उनका यथोचित निस्तारण किया और जबकि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, उपधारा 20E के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट को प्रस्तुत की है।

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, उपधारा 20E द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट यह घोषित करता है कि उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की जाए।

और आगे, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, उपधारा 20ई के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु कैंटोनमेंट यह भी घोषित करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होते ही उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि समस्त बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में स्थित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसमें संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि सम्मिलित है।

राज्य : कर्नाटक

तालुक : तुमकुर

जिला : तुमकुर

गांव : पंडितनहल्ली

क्र.सं.	सर्वे नं./प्लॉट नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़-गुंटा)	भूमि स्वामी / हितधारक का नाम
1	50/3	एन.ए.के.	एन.ए.के.	0-05	बी.जी. गंगाहनुमेगौडा, पुत्र गंगप्पा
2	53/3	सूखी	सूखी	0-02 1/2	नीलम्मा पत्नी विठ्ठलस्वामी, बोगनरसिम्हैया पुत्र स्व. नरसहनुमैया, पी.एन. गिरीश पुत्र नरसहनुमैया (संयुक्त), गौरम्मा पत्नी स्व. हनुमंथैया, लक्ष्मम्मा पत्नी स्व. लक्ष्मैया (संयुक्त)
3	55/1	सूखी	सूखी	0-04 1/4	नरसम्मा एवं उनके पुत्र तथा पुत्रियाँ नरसिम्हैया एवं नरसिम्हमूर्ति (संयुक्त), लक्ष्मैया पुत्र अंजिनी, हनुमंथैया पुत्र अंजिनी, गंगम्मा पत्नी सतीश, सिद्धैया पुत्र रामैया, एच. गंगाहनुमैया पुत्र हनुमनरसैया, चिक्कहनुमैया पुत्र हनुमैया, एल. नरसहनुमैया पुत्र लेंकप्पा (संयुक्त)
4	56	सूखी	सूखी	0-03 3/4	नरसिम्हमूर्ति डी.पी. पुत्र स्व. दोड्डैया, कुलालवाडी इनाम, पुट्टहनुमैया, दानहनुमा, संजीव, गंगाहनुमैया, लेंकहनुमा, गंगम्मा पत्नी हुच्छहनुम्मा (संयुक्त), भाग्य पत्नी लक्ष्मीपति पी.एच.
5	57/6	एन.ए.के.	एन.ए.के.	0-00 1/2	एम.एन. लक्ष्मीकांतैया पुत्र नरसेगौडा
6	(1) 50/3 एवं (2) 57/4	सड़क	सड़क	0-33	राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से पंडितनहल्ली गांव के उत्तर दिशा की सड़क, सर्वे नं. 50/3 से सर्वे नं. 57/4 तक
				कुल 1 एकड़ 09 गुंटा (0 एकड़ 33 गुंटा सरकारी सड़क, 0 एकड़ 16 गुंटा निजी भूमि)	

[फा. सं. डब्ल्यू 271/सीएन/बीएनसी/2026-27/ भूमि एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता- III/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[South Western Railway (Construction Organisation)]**  
**NOTIFICATION**

Bengaluru, the 3rd June, 2026

**S.O. 2838(E).**— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) S.O4936(E) dated 31.10.2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for “Construction of 2 lane ROB in lieu of LC No.33 at km.59/800-900 at Pandithanahalli village ” in the district of Tumakur, in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajavani news paper dated 14.11.2025 and Deccan Herald news paper dated 14.11.2025 under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land in the district of Tumakur in the state of Karnataka.

State:Karnataka					District:Tumakur
Taluk:Tumakur					Village: Pandithanahalli
Sl No.	Sy No/ Plot No	Type of land	Nature of land	Area in A-G	Name of the land owner/Interested person
1	50/3	N.A. K	N.A. K	0-05	B.G.Gangahanumegowda S/O Gangappa
2	53/3	Dry	Dry	0-02 1/2	Neelamma W/O Vithalaswamy, Boganasimhaiah S/O Late Narasahanumaiah, P.N. Girish S/O Narasahanumaiah ( <b>joint</b> ) Gowamma W/O Late Hanumanthaiah, Lakshamma W/O Late Lakshmaiah ( <b>joint</b> )
3	55/1	Dry	Dry	0-04 1/4	Narasamma and her sons and Daughters Narasimhaiah & Narasimhamurthy ( <b>Joint</b> ), Lakshmaiah S/O Anjini, Hanumanthaiah S/O Anjini, Gangamma S W/O Sathish, Siddaiah S/O Ramaiah,H Gangahanumaiah S/O Hanumanarasaiah, Chikkahanumaiah S/O Hanumaiah, L Narasahanumaiah S/O Lenkappa ( <b>Joint</b> )

4	56	Dry	Dry	0-03 3/4	Narasimhamurthy D.P. S/O Late Doddaiiah, Kulalavadi Inam, Puttahanumaiah, Danahanuma, Sanjeeva, Gangahanumaiah, Lenkahanuma, Gangamma W/O Huchhahanumma <b>(Joint)</b> Bhagya W/O Lakshmipathi P.H
5	57/6	N.A.K.	N.A.K.	0-00 1/2	M.N. Lakshmikanthaiah S/O Narasegowda
6	(1)50/3& (2)57/4	Road	Road	0-33	From National Highway 48 to North side Pandithanahalli Village road from Sy.No. 50/3 to Sy.No 57/4
Total				<b>1A-09G (0A-33G Govt road, 0A-16G private land)</b>	

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction